BRBJ010002942015

SC/ST Case no. 28/2015

(एस.सी./एस.टी. थाना काण्ड संख्या 24 सन् 2014)

सूचक	राज्य द्वारा :– कुश नट, पे0 – श्री लाल नट, ग्राम – जमीरा, थाना – आरा मुफसिल़, जिला – भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से :– श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक ।
अभियुक्तगण	1. शंकर यादव, उम्र – 35 वर्ष, पे0 – राम गहन यादव, ग्राम – जमीरा, थाना – आरा मुफसिल़, जिला – भोजपुर।
	2. राम गहन यादव, उम्र – 86 वर्ष, पे0 – स्व0 नारायण, ग्राम – जमीरा, थाना – आरा मुफसिल़, जिला – भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्तगण की ओर से :– श्री शिवजी सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

घटना की तिथि	24.03.2014.
प्राथमिकी की तिथि	01.04.2014.
आरोप पत्र की तिथि	31.07.2014.
आरोप विरचना की तिथि	05.08.2015.
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	01.02.2016.
निर्णय तय करने की तिथि	16.04.2026.
निर्णय की तिथि	16.04.2026.
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	---------------

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	शंकर यादव	13.07. 2014	25.07.2014	341, 323, 504, 34 भा0द0वि0 एवं धारा 3 (1)(x) एस0सी0/ एस0टी0 अधिनियम, 1989	दोषमुक्त	–	–
2.	राम गहन यादव	11.07. 2014	11.07.2014		दोषमुक्त	–	–

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त शंकर यादव और रामगहन यादव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के लिये विचारण किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.2014 को समय सात बजे संध्या में सूचक गांव अलीपुर से शहद निकालकर अपने घर आ रहा था कि रास्ते में जमीरा पुल के पास चार पांच व्यक्ति बैठे हुए थे। जिसमें रामगहन यादव और भांकर यादव थे। शंकर यादव ने बोला कि साला नट नगार बाल्टी में क्या लिया है। सूचक ने बोला कि बाल्टी में शहद लिया हूँ। शंकर ने बोला कि दिखाओ जब शंकर के पास ले गये दिखाने के लिये तो शंकर ने हाथ लगाकर शहद निकाल लिया और खाने लगा। तो मैनें बोला कि शहद पूजा के लिये खरीदते है आपने तो शहद को जुठा कर दिया। उसी पर शंकर यादव ने बाल्टी छिनकर रोड पर फेक दिया और बोला साला नट नगार, माधरचोद पूजारी बना है। इस पर चारो–पांचो मिलकर मारने लगे। लात–मुक्का मारने लगे और बोले कि इसको पुल के नीचे फेक दो। वे लोग मुझे पुल के नीचे फेक दिया जिससे मेरे छाती में तथा सिर फट गया। जिससे खून से लथपथ हो गये। जब मै चिल्लाया तो उसी रास्ते में मेरा बडा भाई लव नट जा रहा था तो उसी ने घर पर खबर दिया तो मेरे परिवार उठाकर मुफसिल थाना ले गये।

16.04.2026

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर एस.सी./एस.टी. थाना काण्ड संख्या 24 सन् 2014 दिनांक 01.04.2014 अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 325, 504, 34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अधीन अभियुक्त शंकर यादव और रामगहन यादव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त शंकर यादव और रामगहन यादव के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर आरोप पत्र संख्या 35/14 दिनांक 31.07.2014 अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 325, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के दण्डनीय अपराध में न्यायालय में समर्पित किया गया। इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 25.06.2015 को अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त शंकर यादव और रामगहन यादव के विरूद्ध दिनांक 05.08.2015 को धारा 341, 323, 504, भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

5. इस मामले में अभियोजन साक्षीयों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा– 313 दंड प्रकिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्त शंकर यादव और रामगहन यादव का बयान दिनांक 16.04.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताया।

6. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगणों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

7. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल दो साक्षीयों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 1. कुन्ती देवी तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2. कुश नट को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. कुंती देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि कुश नट मेरा लडका है। घटना एक साल से कुछ पहले का है। जब मै फेरी लगाने गई थी। उस दिन फेरी लगाकर आई तब लव नट और पतोहू राधिका देवी ने बताया कि राम गहन यादव व शंकर यादव ने कुश को लप्पड–थप्पड़ से मारकर पुल से फेक दिया है। जिसका इलाज भी हुआ था। मारपीट शहद के बाल्टी में हाथ डालने व मना करने के चलते हुआ था। शहद को भी पुल के निचे फेक दिया था। दोनों अभियुक्तों को साक्षी ने पहचान किया।

16-04-2026

साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना मेरे सामने नहीं घटा था। घटना के बारे में मेरा किसी से बातचीत नहीं हुआ था। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था तथा आज पहली बार गवाही दी हूँ। केस सुलह हो गया है तथा सुलहनामा दाखिल हो गया है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 2. कुश नट ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि केस मै ही किया हूँ। घटना आज से डेढ साल पूर्व का है। जब मै मधु काटकर लक्ष्पुर से घर आ रहा था तभी नदी के पुल के पास पहुंचा तब शंकर यादव मधु बाल्टी में हाथ लगा दिया। तब मै विरोध किया इसपर राम गहन यादव व शंकर यादव मुझे मारे–पीटे एवं साईकिल सहित पुल के नीचे फेंक दिये। मुदालय भाग गये थे। सिर मेरा फट गया था तथा ईलाज हुआ था। अस्पताल मुझे भाई ले गया था। मै हरिजन थाना पर जाकर केस किया व निशान बनाया। ललन नट थाना पर लिखकर दिया था। अस्पताल में आठ दिन भर्ती था। अभियुक्तों को साक्षी ने पहचान किया।

साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मधु को लेकर विवाद हुआ था तथा धक्का–मुक्की में मै नीचे गिर गया था। मै थोडा शराब उस दिन पिया था। लोगों के कहने पर मै इन अभियुक्तों के खिलाफ केस किया था तथा सच्चाई जानने से कि यह दोंनो उस घटना में नहीं थे। सुलह कर लिया हूँ। अब मै केस लडना नहीं चाहता हूँ। मै राजी–खुशी से केस सुलह कर लिया हूँ तथा सुलहनामा दाखिल कर दिया हूँ।

10. इस मामलें में राज्य की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा अंतिम बहस में कहा गया कि अभियोजन पक्ष सूचक के साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पर आरोपित आरोंपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

11. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का अंतिम बहस में कहना है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल दो साक्षीयों को परीक्षित कराया है। अभियोजन साक्षी सूचक एवं अन्य साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामला साक्ष्यविहिन है। अतः साक्ष्य

के अभाव में अभियुक्त के दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना करते है।

परिशीलन (Discussion)

12. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

13. आपराधिक विधि का यह स्थापित नियम है कि अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है। इस संबंध में अभियोजन पर अपने मामले को सिद्ध करने का उतना ही भार रहता है, जितना एक व्यक्ति उस पर युक्तियुक्त विश्वास कर सके, इससे अधिक नही।

14. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दर्शित है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा सूचक सहित कुल दो साक्षीयों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में प्रस्तुत करा परीक्षित नही कराया है।

16.04.2026

प्रथम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश सत्यमेव जयते ★ आरा ★

15. अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी संख्या 1 से 2 तक की साक्ष्य समीक्षा से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि कि कुश नट मेरा लडका है। घटना एक साल से कुछ पहले का है। जब मै फेरी लगाने गई थी। उस दिन फेरी लगाकर आई तब लव नट और पतोहू राधिका देवी ने बताया कि राम गहन यादव व शंकर यादव ने कुश को लप्पड–थप्पड़ से मारकर पुल से फेक दिया है। जिसका इलाज भी हुआ था। मारपीट शहद के बाल्टी में हाथ डालने व मना करने के चलते हुआ था। शहद को भी पुल के निचे फेक दिया था। दोनों अभियुक्तों को साक्षी ने पहचान किया।
साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना मेरे सामने नहीं घटा था। घटना के बारे में मेरा किसी से बातचीत नहीं हुआ था। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था तथा आज पहली बार गवाही दी हूँ। केस सुलह हो गया है तथा सुलहनामा दाखिल हो गया है।

इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में स्थिर नहीं रहा है तथा इसका साक्ष्य विखंडित होना पाता हूँ।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि केस मै ही किया हूँ। घटना आज से डेढ साल पूर्व का है। जब मै मधु काटकर लक्ष्पुर से घर आ रहा था तभी नदी के पुल के पास पहुंचा तब शंकर यादव मधु बाल्टी में हाथ लगा दिया। तब मै विरोध किया इसपर राम गहन यादव व शंकर यादव मुझे मारे–पीटे एवं साईकिल सहित पुल के नीचे फेंक दिये। मुदालय भाग गये थे। सिर मेरा फट गया था तथा ईलाज हुआ था। अस्पताल मुझे भाई ले गया था। मै हरिजन थाना पर जाकर केस किया व निशान बनाया। ललन नट थाना पर लिखकर दिया था। अस्पताल में आठ दिन भर्ती था। अभियुक्तों को साक्षी ने पहचान किया।
साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मधु को लेकर विवाद हुआ था तथा धक्का–मुक्की में मै नीचे गिर गया था। मै थोडा शराब उस दिन

पिया था। लोगों के कहने पर मै इन अभियुक्तों के खिलाफ केस किया था तथा सच्चाई जानने से कि यह दोंनो उस घटना में नहीं थे। सुलह कर लिया हूँ। अब मै केस लडना नहीं चाहता हूँ। मै राजी–खुशी से केस सुलह कर लिया हूँ तथा सुलहनामा दाखिल कर दिया हूँ।

इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में स्थिर नहीं रहा है तथा इसका साक्ष्य विखंडित होना पाता हूँ।

इस प्रकार समग्र समीक्षा से पाता हूँ कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 से 2 साक्ष्यविधि की दृष्टि में महत्वहीन है तथा प्रस्तुत मामला साक्ष्य विहीन है।

17. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक समीक्षा के उपरांत यह पाता हूँ कि चूंकि आपराधिक मामले में सबुत का भार सदैव अभियोजन पर होता है एवं आपराधिक मामले में जितना गंभीर अपराध हो, उतना ही स्पष्ट एवं कठोर साक्ष्य आना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त आपराधिक विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यो न हो, वह सबुत का स्थान नहीं ले सकता। इसी प्रकार यह भी सुस्थित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना सही होता है। अतएव यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त शंकर यादव और रामगहन यादव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त शंकर यादव और रामगहन यादव को साक्ष्य के अभाव में आरोपित धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध से उन्हें संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

18. उपस्थित अभियुक्त शंकर यादव और रामगहन यादव जमानत पर है। अतः उसे उसके जमानत व बंधपत्र के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

निणर्य आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

Sailendra Kumar Panda
16-04-2016
(शैलेन्द्र कुमार पांडा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।

Sailendra Kumar Panda
(शैलेन्द्र कुमार पांडा) 16-04-2016
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर
सत्यमेव जयते
आरा